तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2018	पत्रावली लोक अदालत कैम्प स्वामी का गांव में पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 3 व अन्य स्वंय एवं वकील उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादीत भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है तथा विप्रार्थी संख्या 3 व अन्य के वकील ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी भी किये जाने का निवेदन कर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर **भू–अभिलेख निरीक्षक गूंगा** को प्रार्थी की **मौजा मतूओं की ढाणी, पटवार मण्डल स्वामी** का गांव में अवस्थित खातेदारी भूमि **खेत खसरा नम्बर 114/26 रकबा 79 बीघा** भूमि एवं विप्रार्थी संख्या 3 व अन्य की **मौजा मतूओं की ढाणी, पटवार मण्डल स्वामी** का गांव में अवस्थित खातेदारी के खेत ख0 न0 **113/26, 144/113, 143/113, 145/113 व 146/13 रकबा क्रमशः 15.19, 15.18, 15.19, 15.19 व 15.18 बीघा भूमि** के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखबन्दी करने हेतु 1000 /–रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगें। आवश्यकता होने पर एस.एच.ओ. शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक गूंगा बाद पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **उपखण्ड अधिकारी** **शिव**	

Scanned by CamScanner